**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**मौखिक प्रश्न संख्या : 270**
**गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## राजस्थान में आरसीएस – उड़ान

***270. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और राजस्थान को अब तक इससे किस प्रकार लाभ हुआ है;

(ख) क्या बाड़मेर के उत्तरलाई स्थित भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे को नागरिक विमानन सेवाओं से जोड़ा जा रहा है और यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त परियोजना में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत जनता से शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत बाड़मेर जिले को जोड़ने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और उक्त कार्य के पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) जैसलमेर विमानपत्तन पर संचालन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**"राजस्थान में आरसीएस – उड़ान" के संबंध में श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 07 अगस्त, 2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू की। यह योजना मौजूदा बुनियादी ढाँचे के पुनरुद्धार और उन्नयन के माध्यम से असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। आरसीएस-उड़ान एक बाजार-संचालित योजना है, जिसमें एयरलाइनें मांग के अपने आकलन के आधार पर मार्गों के लिए बोली लगाती हैं। चयनित एयरलाइन प्रचालक वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, जिनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएपीएफ), एटीएफ पर कम वैट और उत्पाद शुल्क, और परिचालन रियायतें शामिल हैं। आवंटित मार्गों के लिए जिन हवाईअड्डों को उन्नयन की आवश्यकता होती है, उन्हें 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के अंतर्गत विकसित किया जाता है।

राजस्थान राज्य में, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ नामक तीन हवाईअड्डे और इन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 56 मार्ग अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रचालनशील किए जा चुके हैं।

(ख): भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के स्वामित्व वाले उत्तरलाई हवाईअड्डे को उड़ान योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। उत्तरलाई को जयपुर से जोड़ने वाले मार्ग 19 सीटों वाले विमानों के परिचालन के लिए मैसर्स फ्लाईबिग को अवार्ड किए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके उत्तरलाई हवाईअड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। चयनित एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानों की शुरुआत परिचालनों के लिए हवाईअड्डे के तैयार हो जाने के अध्यधीन है।

(ग): उड़ान योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के विषय में सरकार को एयरलाइनों और यात्रियों, दोनों से फीडबैक प्राप्त हुआ है। कुछ प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:

i) शहर के केंद्र से हवाईअड्डे तक अंतिम मील कनेक्टिविटी में चुनौतियाँ

ii) वीएफआर हवाईअड्डों पर मौसम के कारण कभी-कभी उड़ानों का मार्ग परिवर्तन/रद्द होना

iii) वीजीएफ अवधि पूरी होने के बाद मार्गों का बंद होना

iv) गैर-आरसीएस सीटों के किराए का कभी-कभी अधिक होना।

सरकार ने चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें हवाईअड्डों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर समन्वय, मौसम संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए उपयुक्त हवाईअड्डों पर विशेष दृश्य उड़ान नियम (वीएफआर), उपकरण उड़ान नियम (आईएफआर) जैसी तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, समय-पूर्व बंद किए गए आरसीएस मार्गों के लिए पुनः बोली लगाना और योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क शामिल हैं। मौजूदा योजना की सफलता और

उससे मिली सीख के आधार पर, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।

(घ) और (ङ): उड़ान एक मांग-आधारित योजना है जिसके तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। एयरलाइन ऑपरेटर किसी विशेष मार्ग पर परिचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और योजना के अंतर्गत बोली लगाते हैं। हवाईअड्डे के तैयार होने के आधार पर, एयरलाइनों से प्राप्त वैध बोलियों को योजना के अंतर्गत परिचालन के लिए अवार्ड किया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों द्वारा घरेलू परिचालनों पर कुल 1,16,702 यात्रियों का जैसलमेर हवाईअड्डे से आवागमन हुआ।

******